(11)

संख्या- 1/2018/4761/सोलह-1-2017-9(बजट-7)/2011

प्रेषक,

डा0 सरोज कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ दिनांक: 02 जनवरी, 2018**

विषय- **हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के मुख्य भवन में नग ड्राइंग हॉल के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-830/Maint/2017, दिनांक 19.12.2017 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में निर्माणाधीन नग ड्राइंग हॉल के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. सूच्य है कि शासन के पत्रांक-2099/सोलह-1-2014-9(बजट-7)/2011 दिनांक 16.09.2014 द्वारा मुख्य भवन में नग ड्राइंग हॉल के निर्माण हेतु रु 120.02 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि रु 60.01 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में रु 30.00 लाख की धनराशि राज्य सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के मुख्य भवन में नग ड्राइंग हॉल के अवशेष कार्यों के निर्माण हेतु अनुदान संख्या-47 में से रु 24.00 लाख एवं अनुदान संख्या-83 में से रु 6.01 लाख अर्थात् कुल रु 30.01 लाख (रूपये तीस लाख एक हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को दिनांक 31.03.2018 तक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रयोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये तथा भविष्य में योजनाओं में इसकी पुनरावृत्ति न हो।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कुलसचिव, एच0बी0टी0यू0, कानपुर की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर 369 एच के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

2...

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

(5) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी ।

(6) लेबर सैस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा ।

(7) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कुलसचिव, एच0बी0टी0यू0, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।

(8) अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक/दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

(9) प्रायोजना में प्रस्तावित सर्विस टैक्स के स्थान पर जी0एस0टी0 की लागत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर नियमानुसार देय होगी।

4. स्वीकृत धनराशि में से रू0 24.00 लाख पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-16- हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहत् निर्माण कार्य एवं रू 6.01 लाख पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-14- हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017/231/2017, दिनांक 03.8.2017 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26-वा0पा0-2015, दिनांक 27.03.2015 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 सरोज कुमार)
विशेष सचिव

संख्या-1/2018/4761/सोलह-1-2017-9(बजट-7)/2011 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (आडिट) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) जिलाधिकारी, कानपुर।
(4) वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(6) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।

3...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 3/2018/ 4257/सोलह-1-2017-9(बजट-6)/2016

प्रेषक,

डा0 सरोज कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ दिनांकः 18 जनवरी, 2018

विषय- हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में कतिपय कार्यों के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-237/कुस0का0/2017, दिनांक 02.11.2017 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय में कतिपय कार्यों के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. सूच्य है कि शासन के पत्रांक-4809/सोलह-16-9(बजट-6)/2016टी.सी. दिनांक 03.01.2017 द्वारा विश्वविद्यालय में सड़को की मरम्मत के निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति रू 152.16 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू 76.08 लाख तथा इन्क्यूबेशन हब के निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति रू 121.95 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू 60.97 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में उपरोक्त अवशेष कार्यों के निर्माण हेतु निम्न विवरणानुसार अनुदान संख्या-47 में से रू 109.64 लाख एवं अनुदान संख्या-83 में से रू 27.42 लाख अर्थात् कुल रू 137.06 लाख (रूपये एक करोड़ सैंतीस लाख छः हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(रूपये लाख में)

क्र0	कार्य का विवरण	द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	अनुदान संख्या-47	अनुदान संख्या-83
1	सड़को की मरम्मत	76.08	60.86	15.22
2	इन्क्यूबेशन हब	60.98	48.78	12.20

(1) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को दिनांक 31.03.2018 तक उपलब्ध कराया जायेगा। प्रयोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये तथा भविष्य में योजनाओं में इसकी पुनरावृत्ति न हो।

(2) कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कुलसचिव, एच0बी0टी0यू0, कानपुर की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में ही पूर्ण हो जाये।

वित्त नियंत्रक

11.4.18

(प्रो0 करूणाकर सिंह)
कुल सचिव

285/Ro/Govt/18

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

http://kasganj.up.nic.in

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर 369 एवं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता/पी0एल0ए0 में नही रखीं जायेगी ।

(6) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा ।

(7) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कुलसचिव, एच0बी0टी0यू0, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।

(8) अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक/दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

(9) परियोजना में प्रस्तोवित सर्विस टैक्स के स्थान पर जी0एस0टी0 की लागत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर नियमानुसार देय होगी।

4. स्वीकृत धनराशि में से रू0 109.64 लाख पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-16- हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहत् निर्माण कार्य एवं रू 27.42 लाख पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-14-हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017/231/2017, दिनांक 03.8.2017 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26-वा0पा0-2015, दिनांक 27.03.2015 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 सरोज कुमार)
विशेष सचिव

संख्या-3/2018/4257/सोलह-1-2018-9(बजट-6)/2016 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार (आडिट) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(3) जिलाधिकारी, कानपुर।

3......

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

... कोषाधिकारी, कानपुर।

(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(6) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।

(7) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड), लखनऊ।

(8) अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड), निर्माण प्रखण्ड, कानपुर ।

(9) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर।

(10) प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

(11) बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

(12) वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।

(13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध किशोर)

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-26/2018/1178/सोलह-1-2018-9(बजट-6)/2016

प्रेषक,

सुरजन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ दिनांकः 26 मार्च, 2018

विषय- हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में 200 सीटेड छात्रा-छात्रावास के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-956/maint(C)/18, दिनांक 09.03.2018 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय में 200 सीटेड छात्रा-छात्रावास के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. सूच्य है कि शासन के पत्रांक-4809/सोलह-16-9(बजट-6)/2016टी.सी. दिनांक 03.01.2017 द्वारा विश्वविद्यालय में प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति रू 460.58 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू 230.29 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर में 200 सीटेड छात्रा-छात्रावास के अवशेष कार्यों के निर्माण हेतु अनुदान संख्या-47 में से रू 187.72 लाख एवं अनुदान संख्या-83 में से रू 42.57 लाख अर्थात् कुल रू 230.29 लाख (रूपये दो करोड़ तीस लाख उनतीस हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को दिनांक 31.03.2018 तक उपलब्ध कराया जायेगा। प्रयोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये तथा भविष्य में योजनाओं में इसकी पुनरावृत्ति न हो।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कुलसचिव, एच0बी0टी0यू0, कानपुर की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर 369 एच के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी ।

(6) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा ।

(7) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि वित्त नियंत्रक, एच0बी0टी0यू0, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।

(8) अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक/दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

(9) प्रायोजना में प्रस्तोवित सर्विस टैक्स के स्थान पर जी0एस0टी0 की लागत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर नियमानुसार देय होगी।

4. स्वीकृत धनराशि में से रू 187.72 लाख पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-16- हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहत् निर्माण कार्य एवं रू 42.57 लाख पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-14-हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017/231/2017, दिनांक 03.8.2017 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26-वा0पा0-2015, दिनांक 27.03.2015 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुरजन)
विशेष सचिव

संख्या-26/2018/1178/सोलह-1-2018-9(बजट-6)/2016 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (आडिट) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(3) जिलाधिकारी, कानपुर।
(4) वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(6) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
(7) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड), लखनऊ।
(8) अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड), निर्माण प्रखण्ड, कानपुर।
(9) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर।

3......

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(10) वित्त नियंत्रक, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर।

(11) प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

(12) बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

(13) वित (आय व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।

(14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध किशोर)

अनु सचिव

संख्या:-30/2018/1160/सोलह-1-2018-9(बजट-3)/2018

प्रेषक,

डा0 सरोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,
कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 29 मार्च, 2018

विषय- हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदृढ़ीकरण/विस्तार हेतु रूसा के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-296/कु0स0का0/2018 दिनांक 17.01.2018 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदृढ़ीकरण/विस्तार हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) द्वारा अनुमोदित कार्यों के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदृढ़ीकरण/विस्तार हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) द्वारा अनुमोदित कार्यों के निर्माण हेतु केन्द्रांश के रूप में रू 1000.00 लाख (रू दस करोड़ मात्र) पुर्नविनियोग के माध्यम से स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(4) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।

(5) कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के माध्यम से कार्यदायी संस्था उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31 मार्च, 2018 तक शासन को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगी।

2....

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाली आडिट आपत्ति एवं किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमित्ता का उत्तरदायित्व कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर का होगा।

(8) स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को देने से पूर्व अपेक्षित धनराशियों के आगणन संबंधी साक्ष्यों की पुष्टि कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(9) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, कुलसचिव/वित्त नियंत्रक, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।

(10) प्रायोजना में प्रस्तावित सर्विस टैक्स के स्थान पर जी0एस0टी0 की लागत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर नियमानुसार देय होगी।

(11) प्रायोजना का निर्माण कार्य ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकों के अनुसार कराये जाने का उत्तरदायीत्व कार्यदायी संस्था का होगा।

3. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-47 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-0105- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अंतर्गत अभियंत्रण संस्थाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न बी0एम0 प्रपत्र-09 (पार्ट-1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक से उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

<u>संलग्नकः बी0एम0-9 प्रपत्र (भाग-1)</u>

भवदीय,

(डा0 सरोज कुमार)
विशेष सचिव

3...

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

संख्या-30/2018/1160/सोलह-1-2018-9(बजट-3)/2018 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अवर सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

(2) निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा), राज्य परियोजना निदेशालय, लखनऊ।

(3) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(4) महालेखाकार (आडिट) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(6) जिलाधिकारी, कानपुर।

(7) मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।

(8) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर।

(9) वित्त नियंत्रक, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर।

(10) श्री पी०सी० जैन, नोडल अधिकारी (रूसा), प्राविधिक शिक्षा विभाग/प्रधानाचार्य (मुख्यालय), कानपुर।

(11) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, लखनऊ।

(12) उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।

(13) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।

(14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध किशोर)

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

फार्म बी०एम०-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

(धनराशि लाख रुपये में)

अनुदान संख्या व नाम:-47-प्राविधिक शिक्षा विभाग

वित्तीय वर्ष: 2017-18

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
अनुदान सं0-47					
"4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02- तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-04-मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर-24-वृहत निर्माण कार्य"	2000.00	600.00	600.00	600.00	1400.00
"4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02- तकनीकी शिक्षा-105-इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-16-हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर-24-वृहत निर्माण कार्य"	900.00	400.00	400.00	400.00	500.00
योग	2900.00	1000.00	1000.00	1000.00	1900.00

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
अनुदान सं0-47					
"4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान-0105 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अंतर्गत अभियंत्रण संस्थाओं की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य"	600.00	1600.00	1000.00	1000.00	1600.00
योग	600.00	1600.00	1000.00	1000.00	1600.00

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर में निर्माण कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त न होने के कारण है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय के कारण है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(अवध किशोर)

अनु सचिव

आर0ई0 संख्या :-720/ई-11-530/दस-2018, दिनांक 29 मार्च, 2018

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

हस्ताक्षर.................................
नाम व पद्नाम........................ (केशव प्रसाद)
वित्त विभाग............................ उप सचिव
वित्त विभाग

संख्या- 1160 (1)/सोलह-1-2018-9(बजट-3)/2018 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बंधित कार्यालयाध्यक्ष (नियंत्रक अधिकारी) कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
2. सम्बंधित कोषाधिकारी (द्वारा कुलसचिव)।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

हस्ताक्षर...
नाम व पदनाम...................................... (अवध किशोर)
प्रशासकीय विभाग.......................... .... अनु सचिव
प्राविधिक शिक्षा विभाग

अनुदेश

(1) प्रत्येक **अनुदान/विनियोग** के अन्तर्गत मतदेय और भारित व्यय से संबंधित पुर्नविनियोगों के लिये अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किये जाने चाहिए। **भारित व्यय से सम्बंधित** प्रस्तावों में लेखाशीर्ष के साथ कोष्टक में शब्द "भारित" अंकित कर दिया जाय।

(2) **जिन लेखा शीर्षो में प्रभाव** पड़ेगा उनका वर्णन ब्यौरेवार अनुमानों और अनुदानों में दिये गये वर्णन के अनुरूप होना चाहिए।

(3) **कालम-2 तथा 8 में मूल बजट** प्रावधान, अनुपूरक प्रावधान और पूर्नविनियोग की धनराशि, जो प्रस्तावित पुर्नाविनियोग के दिनांक तक संबंधित लेखा **शीर्ष के अन्तर्गत यथाविधि स्वीकृत** हुये हों, को सम्मिलित किया जाय।

(4) **प्रपत्र के कालम-5, 6 व 11, 12** में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पुर्नविनियोग अंकित किया जायेगा।

Proforma BM-09-2018 DEV

संख्या:-31/2018/1095/सोलह-1-2018-9(बजट-3)/2018टी.सी.

प्रेषक,

अवध किशोर,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,

हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय,

कानपुर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 2018

विषय- हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदृढ़ीकरण/विस्तार हेतु रूसा के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-296/कु०स०का०/2018 दिनांक 17.01.2018 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदृढ़ीकरण/विस्तार हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) द्वारा अनुमोदित कार्यों के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदृढ़ीकरण/विस्तार हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) द्वारा अनुमोदित कार्यों के निर्माण हेतु रू 340.00 लाख (रू तीन करोड़ चालीस लाख मात्र) पुर्नविनियोग के माध्यम से स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(4) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान नियमानुसार श्रम विभाग को किया जायेगा।

(5) कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के माध्यम से कार्यदायी संस्था उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 31 मार्च, 2018 तक शासन को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगी।

2....

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाली आडिट आपत्ति एवं किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमित्ता का उत्तरदायित्व कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर का होगा।

(8) स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था को देने से पूर्व अपेक्षित धनराशियों के आगणन संबंधी साक्ष्यों की पुष्टि कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(9) अवमुक्त धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु दो-दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि, कुलसचिव/वित्त नियंत्रक, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 02 माह के लिए धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।

(10) प्रायोजना में प्रस्तावित सर्विस टैक्स के स्थान पर जी0एस0टी0 की लागत वास्तविक आवश्यकता के आधार पर नियमानुसार देय होगी।

(11) प्रायोजना का निर्माण कार्य ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकों के अनुसार कराये जाने का उत्तरदायीत्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक/दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

3. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचिज जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0101-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अंतर्गत अभियंत्रण संस्थाओं की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण (के-60/रा 40के+रा-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न बी0एम0 प्रपत्र-09 (पार्ट-1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक से उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017/231/2017, दिनांक 03.8.2017 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक: बी0एम0-9 प्रपत्र (भाग-1)</u>

भवदीय,

(अवध किशोर)
अनु सचिव

3...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
... की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic

संख्या-31/2018/1095/सोलह-1-2018-9(बजट-3)/2018टी.सी. तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अवर सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

(2) निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा), राज्य परियोजना निदेशालय, लखनऊ।

(3) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(4) महालेखाकार (आडिट) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(6) जिलाधिकारी, कानपुर।

(7) मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।

(8) वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर।

(9) वित्त नियंत्रक, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर।

(10) श्री पी०सी० जैन, नोडल अधिकारी (रूसा), प्राविधिक शिक्षा विभाग/प्रधानाचार्य (मुख्यालय), कानपुर।

(11) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, लखनऊ।

(12) उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।

(13) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।

(14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध किशोर)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

फार्म बी०एम०-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

(धनराशि लाख रुपये में)

वित्तीय वर्ष: 2017-18

अनुदान संख्या व नाम:-83-समाज कल्याण विभाग

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
"4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02- तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-9-इंजीनियरिंग कालेज, कन्नौज-24-वृहत निर्माण कार्य"	66.00	66.00	66.00	66.00	0.00
"4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02- तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-12-मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर-24-वृहत निर्माण कार्य"	500.00	150.00	150.00	150.00	350.00
"4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02- तकनीकी शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-14-हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,कानपुर-24-वृहत निर्माण कार्य"	200.00	124.00	124.00	124.00	76.00
योग	766.00	340.00	340.00	340.00	426.00

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+)
7	8	9	10	11	12
"4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अंतर्गत अभियन्त्रण संस्थाओं की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण(के-60/रा 40के+रा)-24-वृहत निर्माण कार्य"	150.00	490.00	340.00	340.00	490.00
योग	150.00	490.00	340.00	340.00	490.00

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत प्रश्नगत विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में निर्माण कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त न होने के कारण है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय के कारण है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर०बी० संख्या :- 781 /दस-2018, दिनांक 30 मार्च, 2018

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(अवध किशोर)

अनु सचिव

प्राविधिक शिक्षा विभाग

(मनोज सिंह)

प्रमुख सचिव

समाज कल्याण विभाग।

Profoma BM-09-2018 DEV

[illegible] -2018-9(बजट-3)/2018टी.सी. तद्दिनांक-

[illegible] को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

[illegible] नियंत्रक अधिकारी। कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर।

[illegible] द्वारा कुलसचिव)।

[illegible] निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

[illegible] -1 (तीन प्रतियों में)।

आज्ञा से,

(अवध किशोर)

अनु सचिव

प्राविधिक शिक्षा विभाग